पं. दीन दयाल उपाध्याय विशेष योग्यजन शिविर–2017
पंजीयन हेतु परामर्श पत्र (Process of Registration)

राजस्थान सरकार द्वारा विशेष योग्यजनों को लाभान्वित करने के लिए निम्नानुसार अभियान प्रारभ किया गया है:

(I) **चिन्हीकरण एवं पंजीयन** 01 जून से 24 सितम्बर, 2017 तक (ई–मित्र/अटल सेवा केन्द्र के माध्यम से विशेष योग्यजनों द्वारा पंजीयन)

(II) **नि:शक्तता प्रमाणीकरण शिविर** 25 सितम्बर से 12 दिसम्बर, 2017 तक (विधानसभावार कैम्प आयोजित कर)

(III) **कृत्रिम अंग/सहायक उपकरण वितरण शिविर** 13 दिसम्बर से 31 मार्च, 2018 तक (जिला स्तर पर कैम्प आयोजित कर)

राज्य के प्रत्येक विशेष योग्यजन को (चाहे उसके पास पहले से निशक्तता: प्रमाण पत्र बना हुआ है) पंजीयन करवाना अपेक्षित है, जिससे उनका भारत सरकार द्वारा जारी यूनिक डिसएबिलिटी आई.डी. कार्ड (Unique Disability Id Card) बनाया जा सकें एवं उन्हें कृत्रिम अंग/उपकरण, पेंशन आदि समस्त योजनाओं का लाभ दिया जा सकें।

अत: आपसे निवेदन है कि आप अपने निकटतम ई–मित्र केन्द्र/अटल सेवा केन्द्र पर प्रात: 10 बजे से सांय 6 बजे तक जाकर नि:शुल्क पंजीयन करावे, आप स्वयं के कम्प्यूटर/मोबाईल से भी पंजीयन (Self Registration) कर सकते है।

पंजीयन करवाने हेतु आवश्यक जानकारी

1. नाम, पता, पिता का नाम आदि
2. भामाशाह कार्ड नम्बर
3. आधार कार्ड नम्बर
4. पेशन भुगतान आदेश (पी.पी.ओ.)

पंजीयन हेतु वाछित दस्तावेज (Documents)

1. मूल–निवास प्रमाण पत्र।
2. परिवार की वार्षिक आय का प्रमाण पत्र।
3. नि:शक्तता प्रमाण पत्र (यदि पहले बना हो)

यदि भामाशाह कार्ड नही बना हुआ है तो ई–मित्र पर पहले इसे बनवाये।

इसके लिए निम्नलिखित की आवश्यकता है:–

1. आधार कार्ड नम्बर/ पैन कार्ड/बी.पी.एल/मतदाता पहचान पत्र कार्ड/पासपोर्ट/राशन कार्ड/
2. बिजली/पानी का बिल
3. फोटो
4. बैक विवरण मय पास बुक

स्वः पंजीयन की विधि–

सर्वप्रथम एस.एस.ओ आई डी. बनवाये, फिर उसके बाद sso.rajasthan.gov.in पोर्टल पर एस.एस.ओ आई डी. के माध्यम से खोले फिर जिस परिवार के सदस्य का पंजीयन करवाना है, उसका चयन करे, फिर सूचना जो भामाशाह से नही आ रही है, उन सभी जानकारियो को भरें, फिर पंजीयन के लिए आवश्यक दस्तावेज अपलोड करे, फिर नि:शक्तता संबधी सभी सूचनाए भरे और फिर सबमिट कर देवे।

क्षीरसागर